तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक 08.3.2018

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–9–2006 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

दोनों पक्षों सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

आक्षेपित आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 सीपीसी के आधार पर वाद पत्र वापिस लेने व नया दावा पेश करने की इजाजत दी है और दावा विड्रॉ के जरिये फैसल शुमार होने के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादी पक्ष की यह आपत्ति है कि सशर्त आदेश नहीं दिया जा सकता। मेरा यह मानना है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 1 सीपीसी के साथ–साथ धारा 151 सीपीसी में भी रहा है और धारा 151 सीपीसी में विचारण न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियां हैं। अतः विचारण न्यायालय ने अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मामले की स्थिति को देखते हुए जो आदेश पारित किया है, उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। निगरानी का स्कोप सीमित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होता है। परिणामतः यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रवि प्रकाश शर्मा)** **सदस्य**	